सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

15 FALGUN 1945 (S)

No. 128

RANCHI, TUESDAY 5th MARCH, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th March, 2024

Notification No.- 11/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 58, Dated 05th March, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely: -

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; *Explanation:*"specified actionable claim" as defined section 2(102A) of the JGST Act, 2017 means tl actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation,* after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Jharkhand Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union

Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), dated the 29th day of June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 09/2023- State Tax (Rate) dated the 16th October, 2023 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 39, dated the 16th October, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 11/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 58, दिनांक 5 मार्च, 2024--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत्द्वारा झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क)क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात 227, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत;अर्थात ,पित की जाएगीस्था:

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई अध्याय	"विनिर्दिष्टअनुयोज्य दावे",- स्पष्टीकरणः झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा (102क) में यथा-परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।";

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

"(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पणः प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस.ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 09/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को एस.ओ. सं. 39, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 128 -- 50.